भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2560

उत्तर देने की तारीख : 22.12.2022

एमएसएमई को ऋण

2560. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में सहकारी बैंकों को एमएसएमई को ऋण देने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों द्वारा एमएसएमई को दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूचि में विनिर्दिष्ट किसी भी उद्योग से संबंधित ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) जो किसी भी प्रकार से वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन में कार्यरत हैं या किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, को बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों सहित) द्वारा दिए जाने वाले ऋण, वरियता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सहकारी बैंकों द्वारा एमएसएमई को दिए गए ऋणों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। तथापि, विगत तीन वर्षों में सहकारी बैंकों द्वारा लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को दिए गए ऋणों के बकाया से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

विषय (तिथि के अनुसार)	दिनांक 03/31/2020 तक	दिनांक 03/31/2021 तक	दिनांक 03/31/2022 तक
एसएमई क्षेत्र को बकाया अग्रिम (करोड़ रुपए में)	46,358.16	54,099.41	57,884.09

*****